न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 43/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 जेठाराम 2 ठाकराराम 3 भीमाराम पिसरान तुलछाराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील बाडमेर 4 दुर्गादेवी पुत्री तुलछाराम पत्नी लाभूराम जाति जाट निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर जिला बाडमेर।	बनाम	1 तुलछाराम पुत्र नथाराम 2 कौशलाराम पुत्र गोरधनराम 3 राऊराम 4 देवाराम 5 नवलाराम 6 सोनाराम पिसरान उगराराम 7 राजो पत्नी उगराराम 8 लिखमाराम 9 पूराराम 10 लाखाराम पिसरान भेराराम 11 गुमनी पत्नी भेराराम 12 भोमाराम 13 पदमाराम पिसरान नथाराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री कुम्भाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 18/07/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्वज नथाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गरल राजस्व ग्राम रामपुरा गरल पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 49 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 01.13 बीघा व खसरा संख्या 381/51 रकबा 303.18 बीघा कुल रकबा 305.09 बीघा भूमि तथा मौजा सुथारों का तला पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 615/316 रकबा 71.18 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि नथाराम के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 तुलछाराम व उसके भाईयों के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 तुलछाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 तुलछाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का भी 1/30–1/30 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/30–1/30 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 तुलछाराम के साथ

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2071 से 2074 व 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा गरल राजस्व ग्राम रामपुरा गरल पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 49 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 01.13 बीघा व खसरा संख्या 381/51 रकबा 303.18 बीघा कुल रकबा 305.09 बीघा भूमि तथा मौजा सुथारों का तला पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 615/316 रकबा 71.18 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 तुलछाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/07/18 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner